

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद  
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी' विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ ४५४/एनआरईजीएस—म.प्र./स्था./एनआर-२/०९

भोपाल दिनांक २०-१-१०

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत ..... (समस्त)

विषय :— एनआरईजीएस—म.प्र. अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उपयंत्रियों के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि एनआरईजीएस—म.प्र. अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर उपयंत्री पदस्थ है। विज्ञापन की शर्त अनुसार अभ्यर्थी का मूल वेतन उक्त पद का न्यूनतम मूलवेतन से अधिक अथवा समान होना चाहिये।

परिषद अंतर्गत यह बात प्रकाश में आई है कि कई प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उपयंत्रियों का मूलवेतन उपयंत्री के न्यूनतम मूलवेतन (5000—8000 पांचवा वेतनमान) से कम है। अतः आपके जिले में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उपयंत्रियों के मूलवेतन की जानकारी परिषद को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सकें।

*R.D.J. १९८०*  
(रही खान)  
उपायुक्त  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद  
भोपाल